



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक 468 / कले. / भू अभि. / 2022
प्रति

कांकेर, दिनांक 29 / 4 / 2022

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कांकेर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

विषय:- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिये "छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति कल्याण आवासी एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति को प्रत्यावर्तित रकबा 17.99 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:-1. आपका पत्र क्रमांक / 2142 / आ.वि. / एकलव्य / 2021-22 कांकेर, दिनांक 22.02.2022
2. आपका पत्र क्रमांक / 17 / आ.वि. / एकलव्य / 2022-23 कांकेर दिनांक 04 / 04 / 2022

-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिये "छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति कल्याण आवासी एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति को प्रत्यावर्तित रकबा 17.99 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि उपलब्ध कराने का लेख किया गया है।

अतः एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु विकासखण्ड कांकेर में ग्राम अंजनी रकबा 6.660 हे., विकासखण्ड नरहरपुर में ग्राम सुरही रकबा 6.500 हे. एवं विकासखण्ड दुर्गुकोंदल के ग्राम भण्डारडिगी रकबा 4.830 हे. कुल रकबा 17.990 हे. भूमि का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु व्यर्पन के बदले क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु तहसील दुर्गुकोंदल के रा.नि.मं. दमकसा, ग्राम हिलचुर प.ह.नं. 05 में स्थित खसरा नं 66, 68, 109, 132 रकबा क्रमशः 34.38 हे. मेंसे 12.15 हे., 5.20 हे. मेंसे 2.00 हे., 14.81 हे. मेंसे 2.41 हे. एवं 1.43 हे. मेंसे 1.43 हे. कुल रकबा 17.99 हे. चरागन मद की राजस्व भूमि को चयनित किया गया है। जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है।



कलेक्टर

जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कांकेर, दिनांक 29 / 4 / 2022

पृ. क्रमांक 469 / कले. / भू अभि. / 2022
प्रतिलिपि:-

वन मण्डलाधिकारी कांकेर / भानुप्रतापपुर (पूर्व) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर

जिला उत्तर बस्तर कांकेर



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर

— अनापत्ति प्रमाण पत्र —

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिये "छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति कल्याण आवासी एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति को विकासखण्ड कांकेर में ग्राम अंजनी रकबा 6.660 हे., विकासखण्ड नरहरपुर में ग्राम सुरही रकबा 6.500 हे. एवं विकासखण्ड दुर्गूकोंदल के ग्राम भण्डारडिगी रकबा 4.830 हे. कुल रकबा 17.990 हे. का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु व्यर्पतन के बदले क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्नांकित भूमि को चयनित किया गया है :-

वन मण्डल	परिक्षेत्र	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम जहां वन खण्ड स्थित है	चयनित भूमि का विवरण			रोपण का प्रकार
			खसरा नं.	कुल रकबा	रोपण हेतु चयनित रकबा	
भानुप्रतापपुर (पूर्व)	दुर्गूकोंदल	पह नं. 05 ग्राम- हिलचुर	66	34.38 हे.	12.15 हे.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु
			68	5.20 हे.	2.00 हे.	
			109	14.81 हे.	2.41 हे.	
			132	1.43 हे.	1.43 हे.	
		कुल -	55.82 हे. में से		17.99 हे.	

अतः चयनित राजस्व भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 2(3) अन्तर्गत व्यर्पतन के बदले क्षतिपूर्ति हेतु वैल्पिक वृक्षारोपण किया जाता है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 29 / 04 / 2022
स्थान - कांकेर




कलेक्टर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर